रामस्वरूप आदि विरूद्ध सुरेश

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1530–दो/13

जिला – दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

[illegible]

प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी नायब तहसीलदार वृत बिलहारी द्वारा प्रकरण कमांक 7–अ–6/11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 17–4–13 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकों के कूट परीक्षण हेतु समय दिए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किया गया है और यह निर्देश दिए हैं कि आवेदक चाहें तो आगे की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं ।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। यह प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्षियों के कथन लेने हेतु प्रतिपरीक्षण के लिए नियत था किंतु आवेदक के अधिवक्ता न होने से उसे आवाज लगाने परभी उपस्थित न होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई । शाम को 04.20 बजे आवेदन देकर आवेदक की ओर से अवसर चाहा गया इस पर से अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि चूंकि पहले भी 3 बार अवसर दिए गए थे इस कारण आवेदन अस्वीकार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधिक प्रकिया के अनुसार होकर औचित्यपूर्ण और न्यायसंगत है और उसमें ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिस कारण हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों ।

(एम.के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर

दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 पुनरीक्षण R 1530-II/13

1. रामस्वरूप पुत्र गेबू
2. मोहन पुत्र गेबू

निवासीगण ग्राम बिलहारी खुर्द

तहसील व जिला—दतिया

विरूद्ध

सुरेश पुत्र गेबू

निवासी ग्राम बिलहारी खुर्द

तहसील व जिला—दतिया